BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 3, Issue 2, April-June, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

आजादी का अमृत महोत्सव और समान नागरिक संहिता

डॉ. खेमराज चंद्राकर
(सहायक प्राध्यापक–राजनीति विज्ञान)
शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

सारांश :–

भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक राष्ट्र है जो कई रेखाओं में विभाजित है फिर भी राष्ट्रीय पहचान की भावना से एक साथ बंधा हुआ है। आज, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक और अन्य मामलों पर हर कोई अपने निजी कानूनों के अधीन है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक धर्मनिरपेक्ष समाज में, हर कोई अन्य धर्मों के पूर्वाग्रह का सामना किए बिना किसी भी धर्म का पालन करने और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। ''समान नागरिक संहिता'' शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । भारत के सभी राज्य में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां लोग अलग–अलग धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। देश वर्तमान में इस बात का सामना कर रहा है कि विभिन्न व्यक्तियों के साथ उनके अपने विशेष कानूनों के आधार पर कैसे व्यवहार किया जाए । समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक एकल भारतीय कानून के निर्माण का प्रस्ताव करती है जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मुद्दों के संबंध में सभी धार्मिक संप्रदायों पर लागू होगा।

बीज शब्द :– समान नागरिक संहिता , विविधता, मान्यताए, धर्म, जाति, वर्ग, उत्तराधिकार, विधि, नागरिक।
भारत का संविधान, समता आधारित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय ।

प्रस्तावना :-

भारत जो कि विविधताओं से भरा देश है जहाँ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, वंश आदि अनेक प्रकार की विविधताएं विद्यमान है। उसे किस प्रकार एकता के सूत्र में पिरोया जावें, इस विचारधारा को दृष्टिगत रखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों का प्रत्येक नागरिक के लिए समान प्रावधान किया था। समान नागरिक संहिता इस सूत्र को अधिक मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।[1] भारत जो कि एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्मो के लोगों को संविधान समान अधिकार देता है कि वे अपने धर्म को अंकुरित करे, उसका विकास करें, उसका पालन करें, तो फिर उस देश के संविधान व कानूनों को समान रूप से पालन करने में किसी व्यक्ति या धर्म को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी धर्म चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या फारसी हो राष्ट्रधर्म से ऊपर नही है।[2]

भारत राष्ट्र जिसका संचालन तथा नीतियों का निर्धारण संविधान के द्वारा होता है। जहाँ सबसे बड़ी या अंतिम निर्णायक शक्ति भारत का संविधान है। जिस पर भारत राज्य की समस्त न्यायिक, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका की व्यवस्था टिकी हुई है। उस भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता की गारंटी दी गई है। यह अनुच्छेद भारत की सीमाओं के अंदर सभी नागरिकों को कानून का समान सरंक्षण प्रदान करता है। जिसका अर्थ है भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ बिना किसी भेदभाव के समानता का व्यवहार किया जावेगा।[3] यहाँ इस अनुच्छेद का उल्लेख इसलिए करना प्रासांगिक हो गया है कि वर्तमान में भारत के समक्ष प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि भारत में धार्मिक स्वतन्त्रता अधिक आवश्यक है या राष्ट्रीय एकता व अखण्डता ?

@2025 Bihar Shodh Samaagam

यदि राष्ट्र जीवित है तो ही राष्ट्र की सीमाओं के अंदर कोई धर्म जीवित रह पायेगा। दुनिया ऐसे अनेक उदाहरणों से भरी पड़ी है जहाँ वह सभ्यताएं व देश ही समाप्त हो गये है जिन्होने निजी स्वार्थो व धर्म को देश से अधिक महत्व दिया है।[4]

भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक कानून सुनिश्चित करने की बात कहीं गई है परन्तु भारतीय राजनीतिक दलों की तुष्टिकरण की नीति के चलते आज तक नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना की गई। जहाँ देश में एक वर्ग इसे अपने धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप मानता है तथा अनु. 25 (धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार) को अपनी ढ़ाल बना लेता है। वहीं एक वर्ग ऐसा जो एक देश, एक विधान, एक ध्वज की विचारधारा में विश्वास रखता है।[5]

समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 ने हर व्यक्ति के लिए समान रूप से रखा है। चाहे वह किसी भी जाति के किसी भी धर्म के या किसी भी लिंग के हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वे संशोधन 1976 के द्वारा 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द को जोडा गया जिससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के सभी नागरिको के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है, परंतु वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान समय तक समान नागरिक संहिता के लागू न हो पाने के कारण भारत का एक बडा वर्ग अभी भी धार्मिक कानूनो की आड़ में अपने अधिकारो से वंचित है।

समान नागरिक संहिता का मुद्दा कोई नवीन नहीं है यह विवाद औपनिवैषिक काल से ही चला आ रहा है। वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार के पास इस समस्या से निजात पाने का स्वर्णिम अवसर था, सरकार को केवल शाह बानो केस पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालन करवाकर उस निर्णय को विस्तार देना था परन्तु कहाँ जाता है कि लोकतंत्र मततंत्र भी है यहाँ मतदान का अधिक महत्व है और शायद इस मतदान की चिन्ता में ही सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ध्यान रखते हुए मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 बनाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अप्रभावी बना दिया।[6]

प्रत्येक भारतीय को समझना होगा कि जब एक समान कानून लागू होगा, तो देश के सियासी दल वोट बैंक की राजनीति भी नही कर पायेगें तथा धार्मिक तुष्टीकरण के आधार पर वोट मांगने वालों पर भी लगाम लग सकेगी। धार्मिक नेताओं व रहनुमाओं को भी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए कि वह भारत की विविधता में एकता की संस्कृति का ध्यान रखते हुए समान नागरिक संहिता के प्रति आमजन में सर्वसम्मति की राह को प्रशस्त करें तथा सामाजिक सौहार्द्र को बनाये रखें।

पिछले 70 वर्षों में भारत में यूसीसी की बहस काफी बढ़ी है। प्रतीत होता है कि हानिरहित समझौते के रूप में अपनाए गए यूसीसी का 1980 के दशक से राजनीतिकरण किया गया है। सभी राजनीतिक वितरण समय के साथ पर्सनल लॉ और यूसीसी के साथ खेल रहे हैं। उन लोगों को फिर से परिभाषित करके जो भविष्य की सामूहिक राजनीतिक नैतिकता का हिस्सा हो सकते हैं और नहीं हो सकते, एक नई कानूनी प्रणाली बनाई गई है जो कानूनी नागरिकता और अल्पसंख्यक अधिकारों की बुनियादी नींव को नष्ट कर देती है। इसका एक अच्छा उदाहरण नागरिकता संशोधन अधिनियम (2019) है। यह कोड मूल रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए लागू होना चाहिए, लेकिन कई पूर्वानुमानित और कुछ अप्रत्याशित कारणों से यह पारित नहीं हो पा रहा है और इसका सीधा प्रभाव देश के सभी नागरिकों पर पड़ता है, चाहे वे अल्पसंख्यक वर्ग के हों या नहीं। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू भी समान नागरिक संहिता को लागू करने में बाधक हैं। हालाँकि, समान नागरिक संहिता को प्रोत्साहित करने का मुख्य कारण कई पहलुओं में समानता है। कई लोगों ने समय–समय पर समान नागरिक संहिता के मूल्य पर जोर दिया है, लेकिन उनमें से कोई भी विधान सभा या कानून निर्माताओं को मनाने में सक्षम नहीं हुआ है जिनके पास इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।[7]

समान नागरिक संहिता लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति –

समान नागरिक संहिता पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, तथा इजिप्ट देशो में लागू है। भारत में केवल गोवा ऐसा राज्य है जहॉ समान नागरिक संहिता लागू है। यहॉ पुर्तगाल नागरिक संहिता 1867 लागू हैं। गोवा में जब पुर्तगाली

शासन था तब वहॉ पुर्तगाली सिविल कोड 1867 लागू किया गया। जब 19 दिसम्बर 1961 में गोवा आजाद हुआ तब राज्य में उसी सिविल कोड को अपना लिया गया जो कि अब तक लागू है। इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस आज अपनी एकता की भावना के कारण मजबूत हैं जिसे हमें अभी तक विकसित और प्रचारित नहीं करना है। वस्तुतः सभी देशों में समान नागरिक संहिता या उस मामले में समान कानून है – नागरिक या आपराधिक। यूरोपीय देशों और अमेरिका में एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से और समान रूप से लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इस्लामिक देशों में शरीयत पर आधारित एक समान कानून है जो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।[8]

यहाँ विचारणीय बिन्दु यह भी है कि भारत में ही समान नागरिक संहिता पर इतना विरोधाभास क्यो है? जबकि दुनिया के अनेक विकसित देशों जैसे पौलेण्ड, नार्वे, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, यू.एस.ए, यूके, चीन के साथ–साथ अनेक मुस्लिम देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इण्डोनेशिया, सुडान, इजिप्ट ने भी समान नागरिक संहिता जैसे कानूनों का अपनाया है तथा बड़ी ही सफलता से अपने यहाँ लागू किया है। फिर भारत में ही इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। साथ ही देश में ऐसा माहौल क्यों तैयार किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता से एक वर्ग विशेष ही प्रभावित होगा या यह किसी एक वर्ग विशेष के विरुद्ध है। जबकि भारत का प्रत्येक नागरिक इस कानून से समान रूप से प्रभावित होगा।

समान नागरिक संहिता को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने व इसके पक्ष में वातावरण बनाने हेतु देश के सभी राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए, अपने वोटों व राजनीति की चिंता से ऊपर उठकर भावी भारत के निर्माण हेतु राष्ट्रहित में एक राष्ट्र, एक विधान वाली सोच को बलवती करना चाहिए।क्योंकि इससे तीन तलाक, महिलाओं को पिता की सम्पत्ति पर अधिकार, गोद लेने पर रोक जैसी समस्याएं तो समाप्त होगी ही साथ ही न्यायपालिका का भार खत्म होगा व कानूनी पेचिदगियां भी समाप्त होगी, जिससे भारत के न्यायालयों में अनेक स्तरों पर लम्बित पड़ें मामलों का भी निपटारा शीध्रता से संभव हो पायेगा। देश के विकास मे तेजी आयेगी एवं प्रमुख बात महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।[9]

समान नागरिक संहिता देश में वोटों के धुव्रीकरण को समाप्त करने के साथ ही हिन्दू, मुस्लिम तुष्टिकरण को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने अपने सामने उठने वाले मामलों की गंभीरता को देखते हुए अनुभव किया कि समान नागरिक संहिता, विधि की जटिलता तथा विभिन्न धर्मो के पर्सनल लॉ के टकराव को खत्म करने हेतु अंत्यंत आवश्यक है।

विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान अधिकार संहिता से संबंधित मुद्दो के समग्र अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। उसने 2018 के अपने रिपोर्ट में कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद से प्रभावित है। उन्होने कहा महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिए। समस्त पर्सनल लॉ का गहन अध्ययन कर समाज को असामनता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढियों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करना चाहिए तथा निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्व करने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कूाननों को वरीयता मिलनी चाहिए।[10]

समान नागरिक संहिता लागू में होने वाले प्रावधान[11] –

- समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, जो किसी धार्मिक या जातिय भेदभाव के बिना सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होगा।
- इसके अन्तर्गत विवाह, तलाक, जमीन व सम्पत्ति सम्बन्धित कानून सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होगें।
- वर्तमान में देश में हर धर्म के लोग इन मामलों में निपटारा अपने–अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते है।
- मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है जबकि हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध हिन्दू सिविल लॉ के तहत आते है।

समान नागरिक संहिता का महत्व[12] :–

- देश के विकास के लिए यूनिफार्म सिविल कोड अंत्यंत आवश्यक है।
- इसके लागू होने से सभी वर्ग, जाति, लिंग के व्यक्तियों को समान अधिकार, समान न्याय मिल पाएगा।
- कानून की व्याख्या सरल व स्पष्ट होगी जिससे शीघ्र न्याय मिल पाएगा।
- कानूनी जटिलता समाप्त होगी।
- वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी।
- विवाह, उत्त्राधिकार, संपत्ति, बंटवारा आदि मामलों में सभी धर्म जाति, लिंग के व्यक्तियों को समान अधिकार, समान महत्व प्राप्त होगा।
- समान नागरिक संहिता से लैंगिक समानता को बढावा मिलेगा।
- सभी नागरिकों के लिए एक विधि होने से टकराव कम होगा एवं समरसता बढेगी जिससे एकता की भावना प्रबल होगी।
- भारत सही मायने में धर्मे निरक्षेप कहलाएगा।
- संवेदनशील वर्ग, महिलाऐं तथा अल्पसंख्यक वर्गो को सामाजिक सुरक्षा तथा समानता मिलेगी।
- पर्सनल लॉ के आधार पर हो रहा शोषण खत्म होगा।
- समान नागरिक संहिता लागू होने से कोर्ट का समय व धन बचेगा।
- धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव खत्म होगा।
- वैश्वीकरण एवं बदलते सामाजिक परिदृश्य में इसे लागू किया जाना समय की मांग है।
- कई पर्सनल लॉ में बहू विवाह एवं अनियंत्रित जनसंख्या वृद्वि पर रोक लग सकेगी।

समान नागरिक संहिता की विरोध का **कारण[13] :–**

- वोट बैंक की राजनीति व स्वार्थ के कारण समान नागरिक संहिता लागू किए जाने का विरोध होता है।
- ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसके लागू किए जाने का हमेशा विरोध करता है।
- कुछ विरोध करने वालो का मत है कि यह अनुच्छेद 25 का विरोध है।
- धर्मे निरक्षेप राज्य में सभी धर्मो को अपने पर्सनल लॉ अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- सांस्कृतिक भिन्नता होने से अल्पसंख्यक वर्गो के मान्यताओं एवं हित के विरूद्व है।
- धार्मिक कट्टरता भी समान नागरिक संहिता का विरोध करती है।
- राष्ट्रीय विरोधी गुट, परिवर्तन अर्थात समान नागरिक संहिता का विरोध करने हेतु जनता को भड़काते है।
- राजनैतिक दलों में सामंजस्य का अभाव है जिसके कारण वे एक दूसरे द्वारा लाए गए बिलों का वे परस्पर विरोध करते है तथा पास नही होने देते।
- नागालैण्ड, मिजोरम सहित कई राज्यों में अनुसूचित जनजातियॉ है जो स्वयं द्वारा बनाए कानूनों को मानते है जिसे संविधान भी मान्यता देता है, ऐसे स्थानों में समान नागरिक संहिता लागू करने से अनेक कठिनाई उत्पन्न होगी।

समान सिविल संहिता लागू किए किए जाने के लिए सुझाव[14] :–

- जनता को समान सिविल संहिता के लाभ संबंधी जागरूकता बढानी चाहिए तथा इस हेतु समाचार, पत्रिका, टेलीविजयन आदि का उपयोग कर इसके सकारात्मक व्यावहारिक पहलू की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।
- सभी व्यक्तिगत विधियों का सूक्ष्म अध्ययन कर उनकी रूढिवादी पक्षपातपूर्ण नियमों को छॉटकर पृथक करना चाहिए तथा इस ओर जनता का ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- विभिन्न देशों में सिविल संहिता लागू होने से उन पर पडने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे मे जागरूकरता बढानी चाहिए।
- पूरे देश में एक साथ लागू करने की अपेक्षा पहले कुछ राज्यों में लागू करके इसके प्रभाव का सूक्ष्य अवलोकन करना चाहिए।
- सभी राजनैतिक दलों को व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर उठकर एक साथ बैठकर राष्ट्रीय भावना का दृष्टिकोण अपनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की दिशा में विचार विमर्श करना चाहिए।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :–

1835 की ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई थी और विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए, जहां यूसीसी पहली बार सामने आई थी।

ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मामलों को संबोधित करने वाले कानून में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार ने 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन.राव समिति बनायी गई। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नामक एक विधेयक के कार्यान्वयन के कारण, जो इन सिफारिशों पर आधारित था, हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच निर्वसीयत या अपूर्ण उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले कानून को बदल दिया गया और संहिताबद्ध किया गया। लेकिन पारसियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए अलग–अलग व्यक्तिगत कानून थे।[15]

स्वतंत्रता–पूर्व (औपनिवेशिक युग) के दौरान अक्टूबर 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट– इसमें अपराधों, साक्ष्य और अनुबंध से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया गया था। लेकिन इसने यह भी सिफारिश की कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। रानी की 1859 की उद्घोषणा– इसमें धार्मिक मामलों में पूर्ण हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया था। इसलिए, जबकि आपराधिक कानून संहिताबद्ध हो गए और पूरे देश के लिए आम हो गए, व्यक्तिगत कानून विभिन्न समुदायों के लिए अलग–अलग कोड द्वारा शासित होते रहे।

स्वतंत्रता के बाद के औपनिवेशिक युग (1947–1985) के दौरान, संविधान के प्रारूपण के दौरान, जवाहरलाल नेहरू और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जैसे प्रमुख नेताओं ने समान नागरिक संहिता पर जोर दिया। हालाँकि, उन्होंने मुख्य रूप से धार्मिक कट्टरपंथियों के विरोध और उस समय जनता के बीच जागरूकता की कमी के कारण यूसीसी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी, अनुच्छेद 44) में शामिल किया।[16]

इस अवधि के कुछ सुधार हैं :– हिंदू कोड बिल – हिंदू कानूनों में सुधार के लिए डॉ. बी आर अंबेडकर द्वारा बिल का मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें तलाक को वैध बनाया गया, बहुविवाह का विरोध किया गया, बेटियों को विरासत का अधिकार दिया गया। संहिता के तीव्र विरोध के बीच, चार अलग–अलग कानूनों के माध्यम से एक पतला संस्करण पारित किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम–हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, मूल रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति में विरासत का अधिकार

नहीं देता था। वे केवल संयुक्त हिंदू परिवार से भरण–पोषण का अधिकार मांग सकते थे। लेकिन इस असमानता को 9 सितंबर, 2005 को अधिनियम में एक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम, अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम यह 1954 में अधिनियमित किया गया था जो किसी भी धार्मिक व्यक्तिगत के बाहर नागरिक विवाह का प्रावधान करता था।[17]

न्यायिक समीक्षाः–

ऐसे कुछ मामले हैं जो हमारे देश में यूसीसी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को परिभाषित करते हैं और नीचे दिए गए मामलों का उपयोग यूसीसी की स्थिति का पता लगाने के लिए किया गया है। निम्नलिखित मामले इस प्रकार हैं शाह बानो (1985) के मामले में, शाह बानो नामक 73 वर्षीय महिला को उसके पति ने तीन तलाक (तीन बार ''मैं तुम्हें तलाक देता हूं'' कहकर) का उपयोग करके तलाक दे दिया और उसे भरण–पोषण से वंचित कर दिया गया। उसने अदालतों का दरवाजा खटखटाया और जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके चलते उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि उसने इस्लामी कानून के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में अखिल भारतीय आपराधिक संहिता के ष्पत्नी, बच्चों और माता–पिता के भरण–पोषणष प्रावधान (धारा 125) के तहत उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होता था। इसके अलावा, इसने सिफारिश की कि एक समान नागरिक संहिता स्थापित की जाए। मामले में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत केवल इद्दत की अवधि तक भरण–पोषण का भुगतान किया जाना था। (तीन चंद्र मास–लगभग 90 दिन)। सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 125 जो सभी नागरिकों पर लागू होती है, पत्नी के भरण–पोषण का प्रावधान करती है और प्रभाव – इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद देश भर में चर्चाएं, बैठकें और आंदोलन हुए। दबाव में तत्कालीन सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला (तलाक पर सुरक्षा का अधिकार) अधिनियम (एमडब्ल्यूए) पारित किया, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं किया।[18]

डैनियल लतीफी के मामले में मुस्लिम महिला अधिनियम (एमडब्ल्यूए) को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के अधिकार के साथ–साथ अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को संवैधानिक मानते हुए सामंजस्य बिठाया। यह सीआरपीसी की धारा 125 के साथ है और यह माना जाता है कि इद्दत अवधि के दौरान पत्नी को मिलने वाली राशि इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वह इद्दत के दौरान उसके भरण–पोषण के साथ–साथ उसके भविष्य को भी प्रदान कर सके। इस प्रकार, देश के कानून के तहत, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला जीवन भर या पुनर्विवाह होने तक भरण–पोषण के प्रावधान की हकदार है।

सरला मुद्गल के मामले में यह सवाल उठा था कि क्या हिंदू कानून के तहत इस्लाम अपनाकर शादी करने वाला हिंदू पति दूसरी शादी कर सकता है। अदालत ने माना कि हिंदू कानून के तहत संपन्न हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्दिष्ट किसी भी आधार पर ही भंग किया जा सकता है। इस्लाम में धर्मांतरण और दोबारा शादी करने से, अधिनियम के तहत हिंदू विवाह अपने आप में भंग नहीं होगा और इस प्रकार, ए इस्लाम कबूल करने के बाद की गई दूसरी शादी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 के तहत अपराध होगी। हालाँकि, केरल के एक पुजारी जॉन वल्लामट्टम के मामले में, जॉन वल्लामट्टम ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जो भारत में गैर–हिंदुओं के लिए लागू है। श्री वल्लामटन ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 118 ईसाइयों के खिलाफ भेदभावपूर्ण थी क्योंकि यह वसीयत द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति के दान पर अनुचित प्रतिबंध लगाती है। पीठ ने इस धारा को असंवैधानिक करार दिया।[19]

निष्कर्ष :–

समान नागरिक संहिता आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का लक्षण है। यह इस बात का संकेत है कि देश जाति और धार्मिक राजनीति से दूर चला गया है। वास्तव में यह कहना सही होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम न तो आधुनिक हैं और न ही पारंपरिक। समान नागरिक संहिता समाज को आगे बढ़ने में मदद करेगी और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर ले जाएगी। भारत में अभी हमारे पास चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता है जिसका अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों में हम धर्मनिरपेक्ष हैं और अन्य में हम नहीं हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों को समान कानूनों का पालन करना होगा चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम या ईसाई या सिख। यह मुझे उचित और धर्मनिरपेक्ष लगता है। समान नागरिक संहिता का मतलब यह नहीं है कि यह लोगों की अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा, इसका मतलब सिर्फ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यही असली धर्मनिरपेक्षता है।[20] समान नागरिक संहिता से भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी। हमारा समाज अत्यंत पितृसत्तात्मक और स्त्रीद्वेषी है और पुराने धार्मिक नियमों को पारिवारिक जीवन पर शासन करने की अनुमति देकर हम सभी भारतीय महिलाओं को अधीनता और दुर्व्यवहार के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता इन सदियों पुरानी परंपराओं को बदलने में मदद करेगी जिनका आज के समाज में कोई स्थान नहीं है जहां हम समझते हैं कि महिलाओं के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें समान अधिकार दिए जाने चाहिए।

किसी देश में समान नागरिक कानून बनाना न केवल न्याय का मामला है, बल्कि उस देश की विविध आबादी के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, यह भी है। भारत में, धार्मिक स्वतंत्रता अन्य सभी अधिकारों, जैसे समानता और भेदभाव का अधिकार, के साथ मौजूद है। भारत ने इन विविध आबादी को व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों के माध्यम से धार्मिक परंपराओं का पालन करने में सक्षम बनाकर जवाब देना शुरू कर दिया है।

जब देश में भारतीय दण्ड संहिता व दंड प्रक्रिया संहिता समान रूप से लागू हो सकती है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं ? वर्तमान हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मो के निजी कानूनों में अनेक प्रकार की खामियां है उन्हे भी यहाँ दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हिन्दूओं के लिए बने कानूनों में किसी प्रकार की कमियां नहीं है कमियां हर जगह है परन्तु उनमें समय रहते सुधार व परिवर्तन किया जाना चाहिए।[21]

हिन्दूओं में भी दक्षिण भारतीय हिन्दूओं व उत्तर भारतीय हिन्दूओं के अनेक कानूनों में भिन्नता है जहाँ मातृसत्तात्मक परिवार है वहां तथा जहां पितृसत्तात्मक परिवार है वहां भी कानूनों में भेद है यहां तक की अनेक जनजातियों के स्तर पर भी विवाह, तलाक, सम्पत्ति, उत्तराधिकार जैसे विषयों पर कानूनी भेदभाव है। परन्तु क्या हम सदैव ही इन भिन्नताओं का हवाला देते रहेगें। हम इन पर सार्वजनिक रूप से सकारात्मक बहस करके इनमें सुधार व परिवर्तन का प्रयास नहीं करेगें। जब भारत के संविधान में समय–समय पर अनेक संशोधन हो सकते है तो समान नागरिक संहिता में भी समायानुकुल संशोधन किये जा सकते है परन्तु इसे लागू करने की दिशा में आगे तो बढ़ा जावें।[22]

विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए एक समान नागरिक संहिता अत्यंत आवश्यक है और यह राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार, अलग–अलग धार्मिक विचारधाराओं को धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना का पालन करते हुए सामान्य और एकीकृत सिद्धांतों और उद्देश्यों में विलय और परिणत होना चाहिए। हालाँकि, आज़ादी के 75 से अधिक वर्षों के बाद भी समान नागरिक संहिता की आकांक्षा अधूरी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. समान नागरिक संहिता एक तर्कसंगत तथा सकारात्मक अध्ययन, – वहीदुद्दीन खान मौलाना, निजामुद्दीन वेस्ट मार्केट प्रकाशन, न्यू दिल्ली 2009
2. महिलाओ के कानूनी अधिकार – न्यायमुर्ति नगेंद्र कुमार जैन, शासन सचिवालय, जयपुर प्रकाशन 1993
3. समान नागरिक संहिता एक तर्कसंगत तथा सकारात्मक अध्ययन, – वहीदुद्दीन खान मौलाना, निजामुद्दीन वेस्ट मार्केट प्रकाशन, न्यू दिल्ली 2009
4. महिलाओ के कानूनी अधिकार – न्यायमुर्ति नगेंद्र कुमार जैन, शासन सचिवालय, जयपुर प्रकाशन 1993
5. दुर्गा दास बसु, भारत के संविधान पर टिप्पणी, खंड 3,8वां संस्करण, 2008।
6. एमपी जैन, भारतीय संवैधानिक कानून, छठा संस्करण, 2010।
7. एमपी जैन, आउटलाइन्स ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री, एन.एम.त्रिपाठी प्रा. लिमिटेड प्रकाशक, 1990।
8. एम. एस. रत्नापारखी, समान नागरिक संहितारू एक उपेक्षित संवैधानिक अनिवार्यता। अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिक्ट, 1997।
9. राज्य सत्यम सिंह और शोभिताभ श्रीवास्तव, समान नागरिक संहितारू व्यक्तिगत अधिकारों का एक महत्वपूर्ण अध्ययन और धर्मनिरपेक्ष की भूमिका, खंड 3 अंक 11, कानून के समकालीन मुद्दों पर जर्नल।
10. एस. साधना और श्रीमती एस.भुवनेश्वरी, समान नागरिक संहिता पर एक समकालीन अध्ययन, (2018) खंड 120 नंबर 5, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स, 4683–4694।
11. मेघा ओझा, समसामयिक भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का दायरारू एक सुझाव, (2021), पलार्क्स जर्नल ऑफ़ आर्कियोलॉजी ऑफ़ इजिप्ट/इजिप्टोलॉजी।
12. अंकित सूरी और डॉ. रमाकांत त्रिपाठी, समान नागरिक संहितारू भारत में इसका प्रवर्तन, (2021), खंड 4, अंक 4, पृष्ठ 1579 – 1590, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़।
13. दुर्गा दास बसु, भारत के संविधान पर टिप्पणी, खंड 3,8वां संस्करण, 2008।
14. एमपी जैन, भारतीय संवैधानिक कानून, छठा संस्करण, 2010।
15. एमपी जैन, आउटलाइन्स ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री, एन.एम.त्रिपाठी प्रा. लिमिटेड प्रकाशक, 1990।
16. एम. एस. रत्नापारखी, समान नागरिक संहितारू एक उपेक्षित संवैधानिक अनिवार्यता। अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिक्ट, 1997।
17. राज्य सत्यम सिंह और शोभिताभ श्रीवास्तव, समान नागरिक संहितारू व्यक्तिगत अधिकारों का एक महत्वपूर्ण अध्ययन और धर्मनिरपेक्ष की भूमिका, खंड 3 अंक 11, कानून के समकालीन मुद्दों पर जर्नल।
18. एस. साधना और श्रीमती एस.भुवनेश्वरी, समान नागरिक संहिता पर एक समकालीन अध्ययन, (2018) खंड 120 नंबर 5, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स, 4683–4694।
19. मेघा ओझा, समसामयिक भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का दायरारू एक सुझाव, (2021), पलार्क्स जर्नल ऑफ़ आर्कियोलॉजी ऑफ़ इजिप्ट/इजिप्टोलॉजी।

20. अंकित सूरी और डॉ. रमाकांत त्रिपाठी, समान नागरिक संहिताः भारत में इसका प्रवर्तन, (2021), खंड 4, अंक 4, पृष्ठ 1579 – 1590, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़।
21. Samridhi Sharma : The Uniform Civil Code (UCC) in India: A Boon or Bane? https://www.legalserviceindia.com/legal/article-12620-the-uniform-civil-code-ucc-in-india-a-boon-or-bane-.html .
22. भारत का संविधान (अनुच्छेद44) नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता https://www.constitutionofindia.net/articles/article-44-uniform-civil-code-for-the-citizens/